भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 442

सोमवार, 02 फरवरी, 2026/13 माघ, 1947 (शक)

रोजगार की स्थिति

442. **श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या से संबंधित नवीनतम आंकड़ों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और आयु वर्ग वार ब्यौरा क्या है;

(ख) बेरोजगारी दर में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) बेरोजगारी का कारण बनने वाले कौशल अंतर को दूर करने के लिए कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) को समर्थन देने के लिए किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ड) क्या सरकार ने समग्र अर्थव्यवस्था पर बढ़ती बेरोजगारी दर के आर्थिक प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार के पास बेरोजगारी दर को कम करने के लिए सतत रोजगार वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु कोई दीर्घकालिक रणनीति है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है यह सर्वेक्षण सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से किया जा रहा है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 6.0% से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2% हो गई है। पीएलएफएस रिपोर्ट में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और आयुवार जानकारी उपलब्ध है, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट https://www.mospi.gov.in/publications-reports पर देखा जा सकता है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ रोजगार क्षमता (युवाओं सहित) में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार देश में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, देश भर में कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों /महाविद्यालयों/ संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) तथा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण का कार्यान्वयन भी कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग जगत से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), के माध्यम से, देश भर में एमएसएमई के संवर्धन और विकास के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती है, इन योजनाओं और कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई), सूक्ष्म एवं लघु उद्यम- क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), प्रापण एवं विपणन सहायता योजना (पीएमएसएस), एमएसएमई कार्य निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (आरएएमपी), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना, टूल रूम, प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच), एमएसएमई चैंपियन, पीएम विश्वकर्मा आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, सरकार ने देशभर में लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को समर्थन देने के लिए कई पहलें की हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं::

- व्यापार सुगम बनाने के लिए "उद्यम पंजीकरण" के माध्यम से लघु एवं मध्यम उद्यमों का पंजीकरण।
- उद्यम पोर्टल और श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) का एकीकरण, जिसके परिणामस्वरूप पंजीकृत एमएसएमई एनसीएस पर रोजगार चाहने वालों की खोज करने में सक्षम हैं।
- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए उद्यम सहायता मंच (यूएपी) का शुभारंभ।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगार के लिए आईटी कर्मियों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए 'फ्यूचर स्किल्स प्राइम' कार्यक्रम शुरू किया है।

सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

इसके अलावा, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

*****